



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2000/ज्येष्ठ 15, 1922

No. 317]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2000/JYAISTHA 15, 1922

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2000

सा. का. वि. 518(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नाथ्या (अर्जन, विक्रय, डिस्पोज और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2 परिभाषाएँ : इस आदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "आटोमोबाइल" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति द्वारा सड़क परिवहन प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत है और जहां ऐसे आटोमोबाइल में प्रयोग के लिए प्रमाणित ईंधन मोटर स्पीरिट उच्च गति डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ;

(ख) "सरकारी तेल कंपनी" से ऐसी तेल, परिष्करण कंपनी या तेल विपणन कंपनी अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित एक सरकारी कंपनी भी है ;

(ग) "उच्च गति डीजल" से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल (जिसमें खनिज कोल्फ़ तेल और तेल प्रतिस्थापक सम्मिलित नहीं हैं) अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश सं. आई एस-1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और जो संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है ;

(घ) "मोटर स्पीरिट" से ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन तेल (जिसमें अपरिष्कृत खनिज तेल सम्मिलित नहीं है) अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश सं. आई एस-2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और रफ़ुलिंग-प्रज्वलन इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है ;

(ङ) "नाथ्या" एक हल्का हाइड्रोकार्बन द्रव है, जिसमें ए एस टी एम डी-86 आरकन विश्व द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड या कम की 90 प्रतिशत: वोल्यूम आसवन है ;

(च) "तेल कंपनी" से केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है, जो उपभोक्ताओं को डीलरों को मोटर स्पीरिट या उच्च गति डीजल के विक्रय में लगी हुई है।

3. नाथ्यां के विक्रय या प्रयोग पर निर्बंधन

(i) कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञापति के बिना नाथ्या का अर्जन, भंडारण और / या विक्रय नहीं करेगा।

(ii) कोई व्यक्ति, मोटर स्पीरिट, उच्च गति डीजल और / या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ईंधन को छोड़कर किसी आटोमोबाइल में नाथ्या का प्रयोग नहीं करेगा और न ही किसी रीति में नाथ्या के प्रयोग में सहायता करेगा।

(iii) कोई व्यक्ति, मोटर स्पीरिट और उच्च गति डीजल को नाथ्या से अपमिश्रित नहीं करेगा और न ही किसी रीति में अपमिश्रण में सहायता करेगा।

(iv) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी प्रयोजन के लिए, नाथ्या के, चाहे वह आयातित हो अथवा स्वदेशी, विक्रय या व्यापार में लगा है, ऐसे उपभोक्ताओं से, जिन्हें वह विक्रय करता है, प्रयोग करके समाप्त करने का प्रमाणपत्र फाइल करेगा और त्रैमासिक आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकरणों को, चाहे उनका कोई भी नाम हो, उपभोक्ता-वार विक्रय भी प्रस्तुत करेगा।

(v) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी पेट्रो-रसायन के विनिर्माण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए नाथ्या के, चाहे वह आयातित हो अथवा स्वदेशी, वास्तविक उपयोग में लगा है, त्रैमासिक आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकरणों को, चाहे उनका कोई भी नाम हो, उपयोग करके समाप्त करने का प्रमाणपत्र फाइल करेगा।

4. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

(1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी, या सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा राग्यक् रूप से प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस के उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकारी तेल कंपनी या तेल कंपनी का कोई ऐसा अधिकारी, जो विक्रय अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के विचार से या स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश का या इसके अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन किया जा रहा है,—

(क) किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जो किसी ऐसे डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, जो ऐसे डीलर / परिवहनकर्ता / उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता है, जिसकी बाबत यह विश्वास करने के कारण है कि उसके द्वारा इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है / किया जा रहा है या किया जाने वाला है, कारखाने में प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग किए जाने की आशंका है।

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस आदेश के उल्लंघन में उत्पाद का उपयोग या उसे प्राप्त कर रहा है या ऐसे यान या पात्र को, जो उत्पाद को इधर-उधर करने के लिए उपयोग किया गया है या उपयोग करने के लिए आशयित है, रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा।

(ग) किसी ऐसी लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज या उत्पाद के स्टाक की जांच कर सकेगा, जिसे डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसके डीलर, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता होने की आशंका है, कारखाने में उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने की आशंका है।

(घ) उत्पाद के नमूने ले सकेगा और / या ऐसे उत्पाद के स्टाकों का अभिग्रहण कर सकेगा, जिसके लिए अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उल्लंघन में उसका उपयोग किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और इसके पश्चात् इस प्रकार अभिग्रहीत स्टाकों / मदों को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबंधों के अधीन अधिकारिता रखने वाले कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने और ऐसे प्रस्तुत किए जाने के तबित रहने के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगा या ऐसे उपाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) खंड 1(घ) के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी, ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा, जिसकी एक प्रति डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध जहां तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

5. उत्पाद के नमूने लेना :

(1) खंड 4 में प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, टैंक, नोजल, यान या पात्र से, यह जांच करने के लिए नमूने ले सकेगा कि क्या इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है।

(2) खंड 4 में प्राधिकृत अधिकारी, उत्पाद के 750 मि.ली. से 1 लीटर तक के तीन नमूने लेकर हस्ताक्षरित और सीलबंद करेगा, जिसमें से एक संबद्ध व्यक्ति को अभिस्वीकृति के अधीन इस अनुदेश के साथ दिया जाएगा कि वह नमूने को तब तक अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में परिरक्षित करे जब तक परीक्षण / विश्लेषण पूरा न हो जाए, दूसरा नमूना संबद्ध तेल कंपनी या विभाग द्वारा रखा जाएगा और तीसरा प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाएगा।

(3) नमूना कांच या एल्युमिनियम के साफ आधानों में लिया जाएगा। नमूने लेने के लिए प्लास्टिक के आधानों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(4) नमूने का लेबल नमूने लेने वाले अधिकारी और संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा संदुलभ रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और लेबल पर उत्पाद, अभिग्रहण का स्थान, नमूने की मात्रा, आंकड़े, संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी होगी।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, उपखंड (2), के अधीन लिए गए तीसरे नमूने को तुरंत या किसी भी तारीख में 10 दिन के भीतर उत्पाद की जांच के लिए, नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, मोटर स्पीरिट और उच्च गति डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन और अनाचार का निवारण) आदेश, 1998 की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में से किसी को भेजेगा।

6. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति :

केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, समय-समय पर, किसी व्यक्ति को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह उत्पाद के भंडारण, विक्रय परिवहन और निपटान तथा उत्पाद के उपयोग के क्षेत्र में आवश्यक समझे और ऐसे निदेश देने पर, ऐसा व्यक्ति उनके अनुपालन के लिए आबद्ध होगा।

7. आदेश के उपबंधों का राज्य सरकार आदि के पूर्व आदेशों पर अभिमावी होना :

इस आदेश के उपबंध, किसी राज्य सरकार या ऐसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, इस आदेश के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, सिवाय उन बातों के, जिन्हें उसके अधीन ऐसे प्रारंभ से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. पो. 11013/1/2000-डी.आई.एस.टी]

नरेश नारद, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
ORDER

New Delhi, the 5th June, 2000

G.S.R. 518(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely: -

1. Short title, extent and commencement: (1) This order may be called The Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Order, 2000.
 - a) It extends to the whole of India.
 - b) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Definitions : In this order, unless the context otherwise requires ;
 - (a) "Automobile" means any vehicle registered with Road Transport Authority by any person where fuel certified for use in such automobile is Motor Spirit, High Speed Diesel, Liquefied Petroleum Gas or Compressed Natural Gas.
 - (b) "Government oil company" means an oil refining company or oil marketing company which is also a government company as defined in Section 617 of Companies Act, 1956.
 - (c) "High Speed Diesel" means any hydrocarbon oil (excluding mineral colza oil and turpentine substitute) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No.IS-1460 and is suitable for use as fuel in Compression Ignition Engines;
 - (d) "Motor Spirit" means any hydrocarbon oil (excluding crude mineral oil) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No.IS-2796 and is suitable for use as fuel in Spark Ignition Engines;
 - (e) "Naphtha" is a light hydrocarbon liquid with 90% volume distillation by ASTM D-86 distillation method, of 190 degrees Centigrade or less.

(f) "Oil Company" means any person, firm or company authorised by the Central Government who is engaged in the sale of Motor Spirit or High Speed Diesel to consumers or dealers.

3. Restriction on sale and use of Naphtha.

- (i) No person shall either acquire, store and/or sell Naphtha, without a licence, issued by the State Government or District Magistrate or any other Officer authorised by the Central or State Governments.
- (ii) No person shall either use or help in any manner the use of Naphtha except Motor Spirit, High Speed Diesel and/or any other fuel permitted by the Central Government, in any automobile.
- (iii) No person shall either adulterate or help in any manner adulterating of Motor Spirit and High Speed Diesel with Naphtha.
- (iv) Every person whosoever is engaged in sale or trading of Naphtha either imported or indigenous, for any purpose, whatsoever, shall file end-use certificates from consumers to whom he sells and also furnish customer-wise sales to the District Magistrate or the State Civil Supplies Authorities by whatever name called, on a quarterly basis.
- (v) Every person whosoever is engaged in actual use of Naphtha either imported or indigenous for manufacture of any petrochemicals or any other purpose shall file end-use certificates to the District Magistrate or the State Civil Supplies Authorities by whatever name called, on a quarterly basis.

4. Power of Search and Seizure :-

(1) Any Gazetted Officer of the Central or State Government or any Police Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police duly authorised, by general or special order by the Government or any officers of a Government Oil Company or any other Oil Company authorised by Central Government, not below the rank of Sales Officer may, with a view to securing compliance with the provisions of this Order, or for the purpose of satisfying himself that this order or any order made thereunder has been complied with, -

(a) Enter and search any place or premises being made use of or suspected to be made use of in the business of the dealer, transporter, consumer or any

other person who is an employee or agent of such dealer/transporter/consumer with respect to which there is reason to believe that the provisions of this order have been/are being or are about to be contravened.

(b) Stop and search any person or vehicle or receptacle used or intended to be used for the movement of the product or using or receiving the product in contravention of this order.

(c) Inspect any book of accounts or other document or any stock of the product used or suspected to be used in the business of the dealer, transporter, consumer or any other person suspected to be an employee or agent of the dealer, transporter or consumer.

(d) Take samples of the product and/or seize any of the stocks of the product which the officer has reason to believe has been or is being or is about to be used in contravention of this order and hereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks/items so seized before the Collector having jurisdiction under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and for their safe custody pending such production.

(2) While exercising the power of seizure provided under clause 1(d) the authorised officer shall record in writing the reasons for doing so, a copy of which shall be given to the dealer, transporter, consumer or any other concerned person.

(3) The provisions of Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

5. Sampling of Product :-

(1) The Officer authorised in Clause 4 shall draw the sample from the tank, nozzle, vehicle or receptacle as the case may be to check whether the provisions of this Order are being or likely to be contravened.

(2) The Officer authorised in Clause 4 shall take, sign and seal three samples of 750 ml. to 1 litre each of the product, one to be given to the concerned person under acknowledgement with instructions to preserve the sample in his safe custody till the testing/investigations are completed, the second sample to be kept by the concerned oil company or department and the third to be used for laboratory analysis.

(3) Samples shall be taken in clean glass or aluminium containers. Plastic containers shall not be used for drawing samples.

(4) The sample label should be jointly signed by the officer who has drawn the sample, and the concerned person or his representative and the label shall contain information as regards the product, place of seizure, quantity of sample, date, name and signature of the concerned person or his representative.

(5) The authorised officer shall send the third sample of the product taken under sub-clause (2), immediately or in any case within a period of 10 days, to any of the laboratories specified in Schedule III of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998 for the purpose of analysis of samples to check the product.

6. Power of Central Government to issue directions :-

The Central Government or a State Government with the approval of the Central Government may, from time to time, by a general or special order issue to any person such directions as it considers necessary regarding storage, sale, transportation and disposal and use of product and upon the issue of such directions, such person shall be bound to comply therewith.

7. Provision of the order to prevail over previous orders of State Government, etc.

The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any order made by a State Government or by an officer of such State Government before the commencement of this order except as respects anything done, or omitted to be done thereunder before such commencement.

[F. No. P. 11013/1/2000-21st.],
NARESH NARAD, Addl. Secy.